

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य
आर.ए.एस.
अपील संख्या :- 56/2019

हनुमान पुत्र सीताराम जाति अहिर निवासी ढाणी गैसकान तन भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेसपोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरुद्ध आदेश दिनांक 18/9/2019 तहसीलदार विराटनगर व उनवानी सरकार बनाम हनुमान मु.नं. 52/2019 बाबत ख.नं. 1126/0.01 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक

16-3-2021

तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 बाबत आराजी ख.नं. 1126/0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर से व्यथित होकर जरिये वकील अपील पेश की गयी है जिसमें वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश हैं :-

1. यह है कि पटवारी द्वारा आराजी ख.नं. 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर अवैध कब्जा की रिपोर्ट विराटनगर को प्रस्तुत की गयी जिस पर अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया जिस कारण अपीलान्त ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में कोई जानकारी नहीं हुयी तथा दिनांक 18/9/2019 को प्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी गयी। इसके उपरान्त दिनांक 18/9/2019 को अपीलान्त की अनुपस्थिती में गलत तथ्यों पर अपीलान्त के विरुद्ध तहसीलदार विराटनगर ने एक आदेश पारित कर दिया तथा प्रार्थी/अपीलान्त को सुनवायी का अवसर भी नहीं दिया गया तथा आदेश दिया कि प्रार्थी/अपीलान्त को उक्त आराजी से बेदखल करने व सरह लगान 0.04 के पचास गुना राशि 2=00/- रु. जुर्माना से दण्डित करने का आदेश प्रदान किया गया जिसके विरुद्ध उक्त अपील पेश की गयी है।
2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के विपरीत होने से एवं विधि विरुद्ध तथा पत्रावलियों के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवायी का अवसर नहीं दिया सुनवायी किये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त पारित निर्णय मनतथ्यों एवं कयास के आधारों पर आधारित होने से निरस्तनीय है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कि अपीलान्त के विरुद्ध एक तरफा निर्णय गलत पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ द्वारा पारित निर्णय कानून एवं न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।
5. यह है कि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर बुजुर्गान के समय से यानि सैकड़ों सालों है तथा पक्के मकान बना रखे हैं तथा परिवार सहित निवास कर रहे हैं। उपरो आबादी की जमीन है तथा आस-पास काफी मकान बने हुये हैं जबकि पटवारी मौके की गलत रिपोर्ट अंकित कर गै.मु. पहाड की भूमि बताकर कच्ची झोपडी द कर अतिक्रमण बताया है। इसलिए आदेश 18/9/2019 निरस्तनीय है।
6. यह है कि अपीलान्त का पुराना कब्जा है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अ किया। अपीलान्त का पुराना कब्जा होने से धारा 91 की कार्यवाही सर्वोच्च न्या निर्णय अनुसार नहीं की जा सकती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय क 18/9/2019 जैर अपील निरस्तनीय है।
7. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के सद्भावना पूर्वक कब्जे के विवाद पर भी गौर नहीं किया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के धारा 91 लैण्ड रैवन्यु एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। माननीय अधिनस्थ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने में अहम कानूनी गलती इसलिए निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
8. यह है कि धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत भूमि से बेदखल नहीं कर तथा धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा सक माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त की अधिनस्थ न्यायालय ने पालना न है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
9. यह है कि ग्राम भाबरू ने कोरम की मिटिंग में दिनांक 21/01/2019 को उपरोक्त नम्बर 1126 बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को लिखा कि यह जमीन को आब कनवर्ट की जावें। चारों तरफ आबादी बसी हुयी है। इससे भी बखूबी साबित है कि यह आबादी की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
10. यह है कि पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर पटवारी हल्का ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है एवं सीमाज्ञान भी नहीं किया है ही मौके की नपत की है। पटवारी हल्का द्वारा इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुयी। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 जैर अप निरस्तनीय है।
11. यह है कि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया ना ही मौके पर उसने भूमि का जोख किया ना ही सीमाज्ञान कराया मात्र कयास के आधार पर कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के अ


- पर विश्वास करके अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुने कानूनी गलती की है। इसलिए आदेश निरस्तनीय है।
12. यह है कि पटवारी की रिपोर्ट मौके की स्थिती के विपरीत है। प्रार्थी ने अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।
13. यह है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही वह करेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी के गैर कानूनी बयान को आधार बनाकर निर्णय देने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए भी आदेश निरस्तनीय है।
14. यह है कि अपील श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है, जो अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 18/9/2019 द्वारा तहसीलदार विराटनगर व उनवान सरकार बनाम हनुमान मु.नं. 52/2019 बाबत ख.नं. 1126/0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।
15. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया बाद सूचना के रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये।
16. बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा व उनवान सरकार बनाम हनुमान में पारित आदेश 18/9/2019 के द्वारा ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर कब्जा होना बताकर प्रार्थी/अपीलान्ट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना जुर्माना वसूल करने बाबत निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा बुजुर्गों के समय से सैकड़ों सालों से पक्के मकान बनाकर परिवार सहित आबादी भूमि पर निवास कर रहा है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट तैयार कर बिना मौके की जांच किए गै.मु. पहाड की भूमि बताकर अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण बताया है। पटवारी हल्का की उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किबे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जबकि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया ना ही उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराया तथा ना ही कभी उक्त भूमि की नाप जोख की गयी मात्र कार्यालय बैठकर कयास के आधार पर उक्त रिपोर्ट तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट का विश्वास कर निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट सैकड़ों वर्षों से बुजुर्गान के समय से काबिज रहकर परिवार सहित निवास कर रहे है तथा अपीलान्ट का पुराना कब्जा है। चारों तरफ आबादी बसी हुयी है। उक्त भूमि आबादी की भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही की गयी है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के

को
अ
र
न
श

18/9/2019 निर्णय पारित कर अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा लगान के पचास गुना पैलन्टी के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात् आदि पेश नहीं किये जिससे उक्त भूमि पर उसका अतिक्रमण नहीं हो इसलिए अपीलान्ट का उक्त ख.नं. 1126 किस्म गै.मु. पहाड पर आज भी अवैध कब्जा कर अतिक्रमण बरकरार है। इसलिये अपीलान्ट को अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील चलने योग्य नहीं है तथा उक्त अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 52/2019 व उनवान सरकार बनाम हनुमान बाबत खसरा नम्बर 1126 किस्म गै.मु. पहाड वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर में पारित किया गया निर्णय 18/9/2019 यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

20. निर्णय आज दिनांक 16.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)